कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1705/2020 बिलासपुर, दिनांक 03 मई, 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जिदण्डा/1061/2020 दिनांक 19.03.2020, आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/922/2020 बिलासपुर दिनांक 22.03.2020, एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1568/2020 बिलासपुर दिनांक 30 मार्च, 2020 एवं आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1627/2020 बिलासपुर दिनांक 14 अप्रैल 2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत धारा 144 लागू की गई थी।

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ0ग0 शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे यही कारण है कि COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है।

अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला बिलासपुर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए गृह विभाग, भारत शासन (MHA) के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 01/05/2020 के अनुसार यह उचित प्रतीत होता है कि बिलासपुर जिले में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जिदण्डा /1061 /2020 दिनांक 19.03.2020, आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0 /922/2020 बिलासपुर दिनांक– 22.03.2020, एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0 /1568/2020 बिलासपुर दिनांक 30 मार्च, 2020 एवं आदेश क्रमांक/रीडर– जिदण्डा/1627/2020 बिलासपुर दिनांक 14 अप्रैल 2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत लागू की गई धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि की जावे।

यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपातस्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि बिलासपुर जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कराई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत बिलासपुर जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि करना उचित है।

अतः मैं डॉ0 संजय अलंग कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जिदण्डा/1061/2020 दिनांक 19.03.2020, आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/922/2020 बिलासपुर दिनांक 22.03.2020, एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1568/2020 बिलासपुर दिनांक 30 मार्च, 2020 एवं **आदेश क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1627/2020 बिलासपुर दिनांक 14 अप्रैल 2020 के द्वारा संपूर्ण बिलासपुर जिले में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अन्तर्गत धारा 144 लागू की गई** तथा महामारी अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्र /एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत कार्यालयीन आदेश क्र0 /918/वाचक–कले0/ 2020 बिलासपुर दिनांक 21.03.2020 दिनांक 22.03.2020 आदेश क्र0/रीडर–जि0दण्डा0/1537/2020 बिलासपुर दिनांक 24.03.2020 आदेश क्र0/रीडर–जि0दण्डा0/1587/2020 बिलासपुर दिनांक 31.03.2020, आदेश क्र0/ रीडर–जि0दण्डा0

COLLECTOR & D.M. BILASPUR CHHATTISGARH

Scanned with CamScanner

/1616/2020 बिलासपुर दिनांक 09.04.2020 एवं **आदेश क्र0/रीडर–जि0दण्डा0/1640 /2020 बिलासपुर दिनांक 20 अप्रैल 2020 के द्वारा जारी किये गये** तालाबन्दी (लाकडाउन) आदेश में गृह मंत्रालय, भारत शासन (MHA) के आदेश कमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 01/05/2020 के अनुसार दिनांक– **04 मई, 2020 से दो सप्ताह के लिए वृद्धि करते हुए लागू किये जाने का आदेश पारित करता हूं। उपरोक्त आदेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।**

01– **MoHFW द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार चूंकि बिलासपुर जिला ग्रीन जोन में है, अतः निम्न गतिविधियां 04 मई 2020 से दो सप्ताह के लिए प्रतिबंधित रहेंगी–**

1– सभी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा– केवल चिकित्सीय सेवाओं अथवा एयर एम्बुलेंस तथा सुरक्षा प्रयोजन या गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त प्रयोजन को छोड़कर।

2– सभी यात्री आवागमन, रेल के माध्यम से– सुरक्षा प्रयोजन या गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त प्रयोजन को छोड़कर।

3– बस, टैक्सी (आटो–रिक्शा एवं साईकिल रिक्शा सहित) तथा कैब एग्रीगेटर सेवाएं

4– मेट्रो रेल सेवाएं।

5– व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छूट– चिकित्सीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियां ।

6– सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे, परन्तु ऑन–लाईन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

7– सभी हास्पिटिलिटी सेवाएं बन्द रहेंगी, अपवाद– स्वास्थ्य/पुलिस/शासकीय सेवक/स्वास्थ्य–कर्मी/ श्रमिक/ पर्यटक सहित फंसे हुए लोग एवं क्वारांटाइन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालों को छोड़कर।

8– सभी सिनेमा हॉल, शापिंग माल, जिम, खेल परिसर (स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स) स्वीमिंग पूल, मनोरंजन उद्यान, थिएटर, बार तथा आडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान।

9– पान ठेले पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट–बीडी इत्यादि का विक्रय, उपभोग/सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

10–नाई, सेलून, स्पा आदि सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी।

11–सभी सामाजिक/ राजनैतिक/ खेलकूद/ मनोरंजन/ शैक्षिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक गतिविधियां /अन्य सामूहिक आयोजन।

12–सभी धार्मिक स्थान/पूजा के स्थान आम जन के लिए बंद रहेंगे। **धार्मिक सभाएं कड़ाई से प्रतिबंधित रहेंगी।**

02– **व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय–**

1– सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सायं 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH) 3/5/20

Scanned with CamScanner

2– आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह–रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगें।

3–ओ0पी0डी0 और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे (कन्टेंनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)

03– कंटेंटमेंट जोन में गतिविधियां–

1– सख्त परिधि नियंत्रण।

2– स्पष्ट प्रवेश और निकास बिन्दुओं की स्थापना।

3– केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने एवं आपात चिकित्सा स्थितियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही होगी।

4– बिना चिकित्सीय परीक्षण के लोगों की आवाजाही तथा परिवहन नहीं होगा

5– इस परिधि में लोगों के आवागमन का अभिलेख तैयार करना आवश्यक होगा।

04– चूंकि MoHFW द्वारा जिला बिलासपुर को ग्रीन जोन की श्रेणी में चिन्हित किया गया है, अतः –

1– कण्डिका "01" के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बिलासपुर जिले में समस्त गतिविधियों की अनुमति होगी।

a. लेकिन निर्माण, उद्योग, शासकीय/निजी कार्यालय, उचित मूल्य की दुकाने, गैस एजेंसी, हास्पिटल, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे, टेक अवे/ होम डिलीवरी रेस्टोरेन्ट, पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार एवं दुकानें प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।

b. मिल्क पार्लर प्रातः 07 बजे से सायं 07:00 बजे तक संचालित किये जा सकेंगे।

c. उपरोक्त दुकानों पर सुसंगत वैध दस्तावेज जैसे गुमास्ता लायसेंस आदि पत्रक का चस्पा करना अनिवार्य होगा।

d. सभी दुकानदार अपनी दुकान परिसर तथा लगे हुये बाहर के स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु स्थान चिन्हांकित/बेरिकेडिंग करेंगे।

e. खाद्य पदार्थो के व्यवसाय से जुड़ी दुकानों/ठेलों, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के विनियम 2.1.1 एवं 2.1.2 के तहत खाद्य कारोबार कर्ताओं के रूप में पंजीकृत/अनुज्ञापित, मात्र के संचालन की अनुमति होगी।

05– समस्त गतिविधियों की अनुमति होगी जो विभिन्न जोनों में प्रतिबंधित नहीं है अथवा सीमित अनुमति प्राप्त है।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

Scanned with CamScanner

06— दिनांक— 3 मई, 2020 तक लॉकडाउन की गाईड लाईन में अनुमति प्राप्त गतिविधियों को पृथक से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भारत शासन, गृह मंत्रालय के आदेश दिनंक— 2 अप्रैल, 2020, आदेश दिनांक— 19 अप्रैल, 2020, आदेश दिनांक— 21 अप्रैल, 2020 एवं आदेश दिनांक— 29 अप्रैल, 2020 एवं 01 मई, 2020 के द्वारा विदेशी नागरिक तथा क्वारंटाइन में रखे गये व्यक्तियों की ट्रांजिट अरेंजमेंट, अन्य राज्यों में फसे श्रमिक, नाविक, प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र एवं अन्य व्यक्तियों हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रकिया (SOP) लागू रहेंगी।

07— **लाकडाउन के पालन हेतु निर्देश—**

सार्वजनिक स्थल—

a. सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा।

b. सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

c. कोई भी संस्था/सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देगा।

d. विवाह संबंधी कार्यक्रम मे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 होगी । इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

e. अंतिम संस्कार /अंत्येष्टि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

f. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, इस कार्यालय के आदेश क्र/ रीडर—जि0दण्डा0/ 1703/2020 दिनांक 02 मई, 2020 के अनुसार अर्थदण्ड के साथ दंडनीय होगा।

g. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि के उपभोग /सेवन की अनुमति नहीं होगी।

h. शराब, इत्यादि के विक्रेताओं को, दुकान में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे।

कार्यस्थल—

i. सभी कार्य स्थलों पर चेहरे ढंकने की अनिवार्यता होगी तथा मास्क व चेहरे ढंके जाने के साधन का पर्याप्त भण्डारण किया जाएगा।

j. कार्यस्थलों के समस्त प्रभारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के जारी गाईडलाईन अनुसार कार्यस्थल एवं कम्पनी परिवहन दोनों स्थानों पर,सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे,

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

Scanned with CamScanner

k. कार्यस्थल पर भोजन अवकाश एवं कार्यावधि की दो पालियों के बीच निश्चित अंतराल आदि द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जावे ।

l. समस्त कार्यस्थलों के आगम एवं निर्गम द्वार तथा सुविधाजनक स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश और टच फ्री मैकेनिजम सहित सैनेटाईजर की व्यवस्था की जाएगी ।

m. सभी कार्यस्थल में दरवाजे–हैण्डल सहित सम्पूर्ण परिसर का लगातार एवं दो पालियों के बीच सैनेटाइजेशन कराया जाएगा।

n. सभी क्षेत्रो में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों सह रूग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम के बच्चे स्वास्थ्य एवं आवश्यक आवश्कताओं को पूरा करने के उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहेंगे।

o. सभी निजी एवं शासकीय कर्मचारियों के लिये आरोग्य सेतू एप का उपयोग करना अनिवार्य होगा। कार्यालय प्रमुख को अपने कर्मचारियों के बीच इस एप का शत प्रतिशत उपयोग कराना आवश्यक होगा।

p. बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी

q. आस पास के अस्पताल एवं क्लीनिक जो कोविड 19 के उपचार के लिये अधिकृत हो को चिन्हित कर इसकी सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी में कोविड 19 के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिन्हित अस्पताल में ले जाया जायेगा।

r. जहां निजी अथवा सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता न हो ऐसे परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अनिवार्यता होगी।

s. साफ–सफाई रखे जाने संबंधी सतत सूचना एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

दांडिक प्रावधान–

इस आदेश में उल्लेखित गतिविधियों के संबंध में कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम हेतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों एवं एड्वाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लाकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

3/5/20

(डॉ0 संजय कुमार अलंग)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

COLLECTOR & D.M. ...PUR (CHHATTISGARH)

Scanned with CamScanner

पृ0क्र0/रीडर–जि0दण्डा/1705-A/2020 बिलासपुर, दिनांक 03 मई, 2020

प्रतिलिपि–

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर को सादर सम्प्रेषित।

2– सचिव, छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सम्प्रेषित।

3– सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सादर सम्प्रेषित।

4– आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सम्प्रेषित।

5– पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर को सादर सम्प्रेषित।

6– पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8– आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी .... जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

11– सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी /नगर पंचायत .... जिला–बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

12– सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला– बिलासपुर.......... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13– सर्व तहसीलदार/ कार्यपालिक दण्डाधिकारी ....जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14– सर्व थाना प्रभारी,..जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ, **उक्त आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 188 के तहत संबंधित के विरूद्व विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित करें। वे इस हेतु प्राधिकृत प्राधिकार होंगे।**

15– उप संचालक जनसम्पर्क बिलासपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

16– सर्व संबंधित .... को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

COLLECTOR & D.M.
CHHATTISGARH

Scanned with CamScanner